

Additional Attachment -2.38

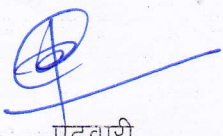
परियोजना का नाम :- रामनगर में बस पोर्ट की स्थापना/विकास कार्य हेतु रामनगर रानीखेत मार्ग से लगी हुयी अवशेष लगभग 0.120 है० भूमि उत्तराखण्ड परिवहन निगम को लीज नवीनीकरण /वनभूमि हस्तान्तरण।

प्रारूप-41

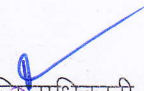
वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र प्रमुख मोटर मार्ग रानीखेत रोड से लगी 0 से 50 मीटर तक के दूरी के कृषि की दर मूल्य रु 875.00 लाख प्रति है० मीटर तथा 50 से 200 मीटर तक के दूरी के कृषि की दर मूल्य रु 660.00 लाख प्रति है० वर्तमान बाजार दर है तथा 0 से 50 मीटर तक के दूरी के कृषि की मूल्य रु 875.00 लाख प्रति है० वर्तमान बाजार दर के अनुसार 0.11 है० हेतु रु 96,25,000.00 एवं 50 से 200 मीटर तक के दूरी के कृषि की मूल्य रु 660.00 लाख प्रति है० वर्तमान बाजार दर के अनुसार 0.010 है० हेतु रु 6,60,000.00 इस प्रकार कुल उक्त प्रयोजन हेतु 0.120 है० वन भूमि का कुल मूल्य रुपये 1,02,85,000.00 (रु एक करोड़ दो लाख पिचासी हजार मात्र) होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्ट मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से रुपये 10,28,500.00 मात्र प्रति वर्ष होता है।

ह०/-
जिलाधिकारी


प्रद्वारी
T. C. GHILDYAL
Revenue Sub Inspector
Ramnagar/Chopra
Tehsil-Ramnagar (Ntl.)


तहसीलदार
तहसीलदार रामनगर
जनपद-नैनीताल


उप जिलाधिकारी
रामनगर (नैनीताल)


जिलाधिकारी
नैनीताल